इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014-अग्रहायण 10, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

अधि. क्र. 114-एफ-1-28-2012-अठारह-3.—यत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन कतिपय क्षेत्रों को सारंगपुर नगरपालिक क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने का आशय मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 8 फरवरी, 2013 को प्रकाशित किया गया था;

और, यतः, कलक्टर को प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर राज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (2) के अधीन विचार कर लिया गया है:

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगरपालिक क्षेत्र सारंगपुर, जिला राजगढ़ की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :—

''अनुसूची—एक

नगरपालिक क्षेत्र सारंगपुर की सीमाओं में सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा:--

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	घोषित किये	क्षेत्र का विवरण
		तथा हल्का	जाने वाले क्षेत्र	
		नम्बर	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम बखतपुरा	146.000	उत्तर —1 से 15, 34 से 58 तक
		प.ह.नं. 46		पूर्व —16 से 33, 59 से 93 तक एवं 112 से 129 तक
				दक्षिण —134 से 136 और 141 से 152 तक
				पश्चिम —94 से 111 तक 130 से 133 तक एवं 137 से 140 तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम राधानगर प.ह.नं. 47	186.000	उत्तर—2/1 से 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2 से 37/3/2 तक 38/1 से 38/3/2 तक 44,46,6/5 से 86, 46,190, 8/191. पूर्व—45, 48, 43, 42, 40, 41, 33 और 49 दक्षिण—50 से 57 तक 131 से 180 तक 178/182, 147/187, 168/188, और 119/186. पश्चिम—87 से 90 तक, 58 से 62 तक, 91 से 107 तक और 62 से 184.
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम गोपालपुरा प.ह.नं. 48	264.000	उत्तर—1 लगायत 67 तक, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 89 से 124 तक और 201 से 271 तक. पूर्व— 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, तथा 305 कालीसिंध नदी तक. दक्षिण—169 से 195 तक 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, और 306 से 344 तक. पश्चिम—71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, तथा 125 से 168 तक.
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम जयनगर प.ह.नं. 48	208.000	उत्तर—1 से 105, 146 से 156 तथा 107 का उत्तर भाग पूर्व— 106 से 111 तक, तथा 265 और 266 कालीसिंध नदी तक दक्षिण—255 से 260 तक तथा 115 से 126 तक पश्चिम—127 से 145 तक तथा 157 से 254 तक
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम तलेनी प.ह.नं. 54	512.000°	उत्तर—1 से 13/2/1/2, 11 एवं 12 से 177/1/1/, 323 और 321/3 तक. पूर्व— 323/1, 327/1 से 347, 913 तक एवं 918, 925 से 956 तक दक्षिण—957/2, 958 से 905/2, 906/1/2 तक 904/3/2, 794/1 तक, एवं 794/4/7 से 791/2 तक 581 से 917 तक एवं 957 से 975 तक. पश्चिम—717 से 643 तक एवं 641 से 581, 589, 475, 580 तक
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम फूलपुरा प.ह.नं. 54	320.000	उत्तर—1,2,3 से 34/2/2 तक तथा 35 पूर्व— 36 से 56 तक और 307 से 329 तक दक्षिण—207 से 253 तक और 254 से 355 तक पश्चिम—174 से 13, 151 और 139 से 159 तक
राजगढ़	सारंगपुर	ग्राम तारागंज प.ह.नं. 55	343.352	उत्तर—286,128,114, 57, 57/1, 57/496, 29/3, 28/3, 27/3, 73/1, 84/1/1. पूर्व—274, 309, 333, 324, 332/2, 332/1, 328/2, 320,321 और 322. दक्षिण—270, 341, 430, 442/1/ 432, 443/1/1, ए.बी. रोड तक पश्चिम—215, 226, 190, 161/1/1, 160, 162/2, 369, 370, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/4, 387/2, 387/3, 388/1, 389/1/1, 389/2, 353/2 पश्चिम रेल्वे लाईन तक. 390/1.
		कुल क्षेत्रफल	1979.352	

अनुसूची—दो

उपरोक्त अनुसूची—एक में विहित क्षेत्र को सिम्मिलित करने के पश्चात् नगरपालिक क्षेत्र सारंगपुर की पुनरीक्षित सीमा निम्नानुसार होगी:—

- उत्तर में—नगरपालिका सारंगपुर के उत्तर की ओर स्थित भूमि, रेल्वे पुल से आगे बजरंग कॉलोनी से आगे बढ़ते हुए ईदगाह होते हुए प्रस्तावित सम्पूर्ण बख्तपुर ग्राम की उत्तरी सीमा में किपलेश्वर मंदिर होते हुए कार्तिक सागर बांध से पूर्व की ओर ग्राम तारागंज, खसरा नं. 1 से 15 तक और 34 से 58 तक.
- पूर्व में—नगरपालिका सारंगपुर के पूर्व की ओर स्थित भूमि, लाल पुलिया ए. बी. रोड से सुदर्शन नगर से आगे रेल्वे स्टेशन, शिवधाम कॉलोनी, शास. महाविद्यालय, सिद्धार्थ, ट्यूब्स लिमिटेड, खसरा नम्बर उत्तर—286, 128, 114, 57, 57/ 1,57/496, 29/3, 28/3-27/3, 73/1, 184/1/1-पूर्व की ओर खसरा नं. 274, 309, 333, 324, 332/2, 332/1, 328/2,320, 321, 322-दिक्षण-270, 341, 430, 442/1, 432, 443/1/1 ए. बी. रोड पश्चिम की ओर खसरा नं. 215, 226, 190, 161/1/1, 160, 162/2,369, 370, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/4, 387/2, 387/3, 388/1, 389/1/1, 389/2,353/2 पश्चिमी रेल्वे लाईन तक 390/1 एवं अरोरा वेयर हाउस, मास्टर माइण्ड स्कूल से तारागंज ग्राम की नई एवं पुरानी आबादी ग्राम-तलेनी की उत्तर सीमा खसरा नम्बर 1 से 13/2/1/2, 11 एवं 12 से 177/1/1, 323, 321/3 तक पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 323/1, 327/1 से 347, 913 तक एवं 918, 925 ले 956 तक एवं दिक्षणी सीमा 957/2, 958 से 905/2, 906/1/2 तक 904/3/2, 794/1 तक एवं 794/4/7 से 791/2 तक 581 से 917 तक एवं 957 से 975 तक एवं पश्चिम की ओर की 717 से 643 तक एवं 641 से 581, 589, 475, 580, तक ग्राम-फूलपुरा की उत्तर सीमा को सिम्मिलत करते हुए 1,2,3 से 34/2/2 से 35 तक पूर्व में 36 से 56 तक एवं 307 से 329 तक, दक्षिण में 207 से 253 तक एवं 254 से 355, ए. बी. रोड, पश्चिम की ओर खसरा नं. 174 से 13, 151 तक एवं 139 से 159 तक.
- **दक्षिण में**—नगरपालिका सारंगपुर में अवस्थित भूमि पंचमुखी हनुमान मंदिर से आगे उपजेल को सिम्मिलित करते हुए अकोदिया रोड से प्रस्तावित आगर बॉम्बे बायपास रोड को सिम्मिलित करते हुए मोहल्ला किड़ी, खानगा से कालीसिंध नदी तक.
- पश्चिम में—नगरपालिका सारंगपुर से पश्चिम की ओर स्थित भूमि, कालीसिंध नदी पर बने पुल से आगे ग्राम गोपालपुरा के उत्तर की ओर ग्राम गोपालपुरा स्थित मिनी आई.टी.आई. रेशम केन्द्र कार्यालय, सातल कत्था फैक्ट्री, डाक बंगला से जयनगर के आगे स्थित कृषि फॉर्म एवं ग्राम राधानगर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा को समाविष्ट करते हुए, कालीसिंध नदी के समानांतर नगर सीमा में होते हुए कार्तिक सागर डेम बखतपुरा की सीमा तक. उत्तरी सीमा खसरा नं. 1 लागायत—67, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 89 से 124 तक एवं 201 से 271 तक, पूर्व की ओर 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 तथा 305 कालीसिंध नदी तक, दक्षिण की ओर 169 से 195 तक 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 306 से 344 तक, पश्चिम की ओर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83,, 86, तथा 125 से 168 तक. ग्राम जयनगर उत्तर सीमा खसरा नं. 1 लगायत 105, 146 से 126 तथा 107 का उत्तर भाग, पूर्वी सीमा में खसरा 106 से 111 तक तथा 265,266 कालीसिंध नदी तक, पश्चिम की ओर 127 से 145 तक तथा 157 से 254 तक ग्राम राधानगर की उत्तरी सीमा के खसरा 2/1 से 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2 से 37/3/2 तक 38/1 से 38/3/2 तक 44, 46, 6/5 से 86 तक 46, 190, 8/191 तक पूर्व की ओर 45, 48, 43, 42, 40, 41, 33, 49 तक दक्षिण की ओर 50 से 57 तक 131 से 180 तक 178/182, 147/187, 168/188, 119/186, पश्चिम की ओर 87 से 90 तक 58 से 62 तक, 91 से 107 तक 62 से 184 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 114-एफ-1-28-2012-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114-एफ-1-28-2012-अठारह-3, दिनांक 29 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया. उपसचिव.

West—71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,86 and 125 to 168.

Bhopal, the 1st December 2014

Not. No. 114-F-1-28-2012-XVIII-3.—Whereas, the intention to include the certain areas within the limits of Municipal area Sarangpur was published in the Madhya Pradesh Gazette on 8th February, 2013, under sub-section (1) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

AND, WHEREAS, the Governor has considered the objections submitted to the collector under sub-section (2) of Section 5-A;

Now, Therefor, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas as specified in Schedule-I below within the limits of Municipal area Sarangpur in the District Rajgarh, namely:—

"SCHEDULE—I

The area of the villages included in Sarangpur Municipal limit shall be as follows:—

District	Tahsil	Name of Village & Halka No.	Area to be declared (in Hect.)	Details of area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rajgarh	Sarangpur	Bakhatpura H. No. 46	146.000	North— 1 to 15, 34 to 58 East—16 to 33, 59 to 93 and 112 to 129
		11. 110. 40		South—134 to 136 and 141 to 152
				West—94 to 111, 130 to 133 and 137 to 140
Rajgarh	Sarangpur	Radhanagar H. No. 47	186.000	North— 2/1 to 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2 to 37/3/2, 38/1 to 38/3/2, 44, 46. 6/5 to 86, 46, 190 and 8/191. East—45, 48, 43, 42, 40, 41, 33, and 49 South—50 to 57, 131 to 180, 178/82, 147/187, 168/188 and
				119/186.
				West—87 to 90, 58 to 62, 91 to 107 and 62 to 184
Rajgarh	Sarangpur	Gopalpura	264.000	North — 1 to 67, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 89, to 124 and 201 to 271.
		H. No. 48		East—272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, and
				305 up to Kalisindh river. South —169 to 195, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
				290 and 306 to 344.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rajgarh	Sarangpur	Jainagar H. No. 48	208.000	North— 1 to 105, 146 to 156 and north part of 107 East—106 to 111, and 265 and 266 up to Kalisindh River South—255 to 260 and 115 to 126 West—127 to 145 and 157 to 254
Rajgarh	Sarangpur	Taleni H. No. 54	512.000	North— 1 to 13/2/1/2, 11, 12, to 177/1/1, 323 and 321/3 East—323/1, 327/1 to 347 up to 913, 918 and 925 to 956 South—957/2, 958 ot 905/2, 906/1/2 to 904/3/2 upto 794/1, 794/4/7 to 791/2, 581 to 917 and 957 to 975. West—717 to 643, 641 to 581, 589, 475 and upto 580.
Rajgarh	Sarangpur	Phoolpura H. No. 54	320.000	North—1,2,3 to 34/2/2 and 35 East—36 to 56 and 307 to 329 South—207 to 253 and 254 to 355 West—174 to 13, 151 and 139 to 159
Rajgarh	Sarangpur	Taraganj H. No. 55	343.352	North—286, 128, 114, 57, 57/1, 57/496, 29/3,28/3, 27/3, 73/1 and 84/1/1. East—274, 309, 333, 324, 332/2, 332/1, 328/2, 320, 321 and 322. South—270, 341, 430,442/1/ 432,443/1/1 upto A.B. road West—215, 226, 190, 161/1/1, 160, 162/2, 369, 370, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/4, 387/2, 387/3, 388/1, 389/1/1, 389/2, 353/2 up to western railway line 390/1.
		Total Area	1979.352	-

SCHEDULE-II

The revised boundry of the Municipal area Sarangpur, after the including of the aea prescribed in Schedule-I above are as follows:—

North—Land situated at the northern side of Sarangpur municipality, Railway bridge, Bajrang Colony, covered Idgaah area and the total propossed area of village Bakhatpur, Kapileshvar temle and Kartiksagar dam to towards east upto village Taraganj Khasara No. 1 to 15 and 34 to 58.

East—Land situated at the eastern side of Sarangpur municipality, from Agra-Bombay road Lal Puliya to Sudarshan Nagar, Shivdham colony, Government Dgree College, Siddharth Tubes limited, Khasara No. of northern side 286, 128, 114, 57, 57/1, 57/496, 29/3, 28/3, 27/3, 73/1, 184/1/1, Khasara no. of eastern side-274, 309, 333, 324, 332/2, 332/1, 328/2, 320, 321, 322, South-270-341, 430, 442/1, 432, 443/1/1 Agra-Bombay road Western side K. No. 215, 226, 190, 161/1/1, 160, 162/2, 369, 370, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/4, 387/2, 387/3, 388/1, 389/1/1, 389/2, 353/2 up to western railway line 390/1, and Arora ware house, master mind school to village Taraganj new and old population up to northern boundry of village Taleni. in the north Khasara No. 1 to 13/2/1/2, 11 and 12 to 177/1/1/, 323, 321/3, In east Khasara No. 323/1, 327/1 to 347 upto 913 and 918, 925 to 956 in south 957/2, 958 to 905/2, 906/1/2 to 904/3/2 upto 794/1 and 794/4/7 to 791/2 and 581 to 917, 957 to 975 and in the west Khasara No. 717 to 643 and 641 to 581, 589, 475, & upto 580, including the northern side of village Phoolpura Khasara No. 1, 2, 3 to 34/2/2 to 35, in east 36 to 56 and 307 to 329 in the south 207 to 253 and 254 to 355 upto Agra-Bombay road and the west side Khasara No. 174 to 13, 151 and 139 to 159.

South—Land situated in the Sarangpur Municipality, from Panchmukhi Hanuman temple to Akodia road including Subjail of Sarangpur to propossed Agra Bombay four lane bypass road, Mohalla Kidi. Khanga and upto Kalisindh River.

West—Land situated of the Sarangpur Municipality, from the Bridge of Kalisindh river to village Gopalpura, in the northern side mini ITI, Resam Kendra, Satal Kattha factory, Dak bangla to Jainagar Krishi farm and covered total revenue boundry of village Radhanagar and parellel of Kalisindh river up to kartik Sagar Dame situated in village Bakhatpura. In north direction from Khasara No. 1 to 67, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 89, to 124 & 201 to 271, In east direction from Khasara No. 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 and 305 upto Kalisindh river. In South direction from Khasara No. 169 to 195, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 306 to 344 and in west direction from Khasara No. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86 and 125 to 168 Including the area village Jainagar north from Khasara No. 1 to 105, 146 to 126 and north part of 107, In east from Khasara No. 106 to 111, and 265, 266 up to Kalisindh River. In west from Khasara No. 127 to 145 and 157 to 254 and also including the area of village Radhanagar in north from K. No. 2/1 to 34/3, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1/1, 37/1/2, to 37/3/2 and 38/1 to 38/3/2 and 44, 46, 6/5 to 86 and 46, 190 & 8/191. In east from Khasara No. 45, 48, 43, 42, 40, 41, 33, 49, in south from Khasara No. 50 to 57, 131 to 180, 178/182, 147/187, 168/188, 119/186. In west from K. No. 87 to 90, 58 to 62, 91 to 107, 62 to 184.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, K. K. KATIYA, Dy.Secy.